फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

रामस्वरूप .....बनाम..... राज० सरकार

किस्म मुकदमा..... ..... मु०न०..22..../2025

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगत/P.O. या राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल तारीख पेशी लग ... पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/06/25	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील गणों द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि आराजी भूमि ख०नं० 763, 776 वाके मौजा डालेड़ा तह० सिकराय जिला दौसा मे स्थित है जिसके वादी का नाम बाबूलाल पुत्र कान्हा दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रामस्वरूप एवं उनके पिता का सही नाम इन्द्रमालाल है अतः उपरोल्लेखित त्रुटि हेतु प्रकरण पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार से जवाब लिया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हाल है कि बाबूलाल पुत्र कान्हा एवं रामस्वरूप पुत्र इन्द्रमालाल एक ही व्यक्ति है। फलित दावा स्वीकार योग्य है। अतः प्रकरण स्वीकार कर विवादित भूमि मे वादी का नाम बाबूलाल पुत्र कान्हा के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र इन्द्रमालाल दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। पालना तहबीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर की हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा